REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1243]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015⁄ ज्येष्ठ 26, 1937
No. 1243]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1598(अ).—पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 35 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), का.आ. 2182(अ) तारीख 26 अगस्त, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात् और टिप्पण से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"3. कृषक किस्मों के लिए वार्षिक फीस 10/- रुपए (दस रुपए केवल) होगी ।"।

[फा. सं. 1-24/2012-एसडी.V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना तारीख 26 अगस्त, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), का.आ. 2182(अ) तारीख 26 अगस्त, 2009 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2015

S.O. 1598(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority with the prior approval of the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2182(E) dated 26th August, 2009 namely :—

In the said notification, after paragraph 2 and before the note the following paragraph shall be inserted, namely :—

"3. The annual fee for farmers' varieties shall be Rs. 10/- (Rupees Ten only).".

[F. No. 1-24/2012-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification dated 26th August, 2009 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 2182(E) dated 26th August, 2009.